**संख्या- 282 /2022/613/नौ-5-2023/001-04Budget-2016**

**प्रेषक,**

**कल्याण बनर्जी,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2023

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य सेक्टर के पेयजल हेत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत नगर पंचायत जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनगर पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु चतुर्थ/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-55/नागर-1/032-0410(गा0क्षे0)/2023, दिनांक 31.01.2023 का संदर्भ संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनगर पेयजल पुनर्गठन योजना की शासनादेश संख्या-153/2016-09/नौ-5-16-04बजट/2016, दिनांक 27.05.2016 द्वारा स्वीकृत निर्धारित लागत रू0 1866.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 746.00 लाख, शासनादेश संख्या-116/2019/639/नौ-5-19-04बजट/2016, दिनांक 29.03.2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 74.37 लाख एवं शासनादेश संख्या-154/2021/11267/नौ-5-21-04बजट/2016, दिनांक 25.10.2021 द्वारा तृतीय किश्त रूप में धनराशि रूपये 952.80 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में **रू0 93.32 लाख (रू0 तिरानबे लाख बत्तीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।

(14) संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.05.2016की शर्तें यथावत् रहेंगी।

(15) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 93,32,000 ( रुपये तिरानवे लाख बत्तीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
17.02.2023
( कल्याण बनर्जी ),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या- 282 /2022/613/नौ-5-2023 /001-04Budget-2016, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त-मेरठ/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7- मुख्य अभियंता (गा0क्षे0), उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनगर।
9- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10- वित्त (ई-9) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
17.02.2023.
( कल्याण बनर्जी ),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।